



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4096/2026

विष्णु उर्फ विशाल गुप्ता

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग शासन लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: - शिव पाल सिंह, अम्बरीश कुमार
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- पयागपुर, जिला - बहराइच में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 85, 108 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 015/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों के साथ शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन जी रहा था। हालांकि, घटना की तिथि को प्रार्थी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की पत्नी ने अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ आत्महत्या कर ली। मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह भी तर्क दिया गया कि विवेचना के दौरान स्वतंत्र साक्षियों/पड़ोसियों जैसे मनोज कुमार, जायसवाल और अन्य के बयान दर्ज किए गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना की तिथि को मृतक ने अपनी दो पुत्रियों के साथ आत्महत्या की थी।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि विवेचना अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार किए बिना आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है कि प्रार्थी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी दिनांक 12.01.2026 से जेल में निरुद्ध है, विचारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए, यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. विद्वान शासकीय अधिवक्ता एवं शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि विवेचना अधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और इसलिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि विवेचना के दौरान ओंकार नाथ बैश्य, अमित कुमार, शिवा, राजकुमार, अमित कुमार जायसवाल और रविकेश नाम के स्वतंत्र साक्षियों के बयान दर्ज किए गए हैं। यह भी कहा गया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप पत्र उचित प्रस्तुत किया गया है और मामला जमानत देने योग्य नहीं है।

7. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करते हुए तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ-साथ विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए स्वतंत्र साक्षियों के बयानों का अवलोकन करने के बाद, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

8. तदनुसार, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त प्रार्थी - विष्णु उर्फ विशाल गुप्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता /209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

10. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान् अवर न्यायालय जमानत निरस्तीकरण के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

प्रीति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।